प्रेस नोट

दिनांक 09.07.2024, नवाबगंज

जनपद गोण्डा।

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा चोरी के माल के साथ शातिर चोर को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 1030/- रूपये बरामदः-

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना नवाबगंज पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0-182/24, धारा 457, 380 भादवि से सम्बन्धित प्रकाश में आये आरोपी अभियुक्त- 01. शाहजान पुत्र मो0 जमील निवासी कहरान मोहल्ला कस्बा नवाबगंज थाना नवाबगंज गोण्डा को महंगूपुर लाल शहीद चौराहा के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 1030/- रूपये बरामद कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

वादी शिवम पाण्डेय पुत्र श्री प्रभाकर पाण्डेय निवासी ग्राम मोहरी थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना नवाबगंज को सूचना दिया की उसके इलेक्ट्रानिक कि दुकान की शटर का ताला तोड़कर इलेक्ट्रानिक समान व नगदी व व उसके दुकान के बगल में खाद बीज भण्डार की दुकान से मशीने व धान का बीज आदि समान अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया है। तहरीर के आधार पर थाना नवाबगंज में मु0अ0सं0-182/2024 धारा 457, 380 भादवि बनाम अज्ञात के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा घटना में संलिप्त अभियुक्त की गिरफ्तारी व चोरी गई समान की बरामदगी हेतु टीमें लगाई गयी थी। आज दिनांक 09.07.2024 को थाना नवाबगंज पुलिस टीम द्वारा प्रकाश में आये आरोपी अभियुक्त- 01. शाहजान पुत्र मो0 जमील निवासी कहरान मोहल्ला कस्बा नवाबगंज थाना नवाबगंज गोण्डा को महंगूपुर लाल शहीद चौराहा के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 1030/- रूपये बरामद कर लिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर विवेचना में धारा 411, 413 भादवि की बढोत्तरी किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना नवाबंगज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. शाहजान पुत्र मो0 जमील निवासी कहरान मोहल्ला कस्बा नवाबगंज थाना नवाबगंज गोण्डा

पंजीकृत अभियोग-

01. मु00सं0 182/2024 धारा 457, 380, 411, 413 भादवि थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. चोरी गई 1030/- रूपये नगद बरामद

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 उमाशंकर

02. हे0का0 सुनील यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 09.07.2024, थाना उमरीबेगमगंज
जनपद गोण्डा।

थाना उमरीबेगमगंज क्षेत्र के अन्तर्गत नाबालिक लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने व उसके साथ दुराचार करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-

जनपद गोण्डा में अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना उमरीबेगमगंज पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 153/2024, धारा 363, 366, 376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त राहुल यादव पुत्र बाबादीन निवासी बच्ची माझा मौजा सोनौली थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा को थाना उमरीबेगमगंज के द्वारा पीडी बंधा निकट हनुमान मंदिर के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

थाना उमरीबेगमगंज क्षेत्र के अन्तर्गत नाबालिग लड़की को विपक्षीगण द्वारा बहला-फुसला कर भगा ले जाने की सूचना प्राप्त हुई। वादी की तहरीर के आधार पर थाना उमरीबेगमगंज में मु0अ0सं0- 153/2024, धारा 363 भादवि बनाम राहुल यादव आदि 04 अभियुक्तों के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान पीडिता के वयान के आधार पर अभियोग में धारा 366, 376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी किया गया। आज दिनांक 09.07.2024 को वांछित अभियुक्त राहुल यादव पुत्र बाबादीन निवासी बच्ची माझा मौजा सोनौली थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा को थाना उमरीबेगमगंज के द्वारा पीडी बंधा निकट हनुमान मंदिर के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कराकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त

01. राहुल यादव पुत्र बाबादीन निवासी बच्ची माझा मौजा सोनौली थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 153/2024, धारा 363, 366, 376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना उमरीबेगमगंज, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 बृजेश यादव
02. हे0का0 रामप्रीत यादव
03. का0 सूरज कुमार

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 09.07.2024

आज दिनांक 09.07.2024 को सुबह समय करीब 11.00 बजे थाना कोतवाली नगर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई की थाना को0मनकापुर क्षेत्र की निवासी लड़की आयुक्त कार्यालय के पास पानी टंकी के ऊपर चढ़ गयी है, उसके द्वारा आरोप लगाया गया की दिनांक 23.12.2023 को धारा 156(3) सीआरपीसी के अंतर्गत मा0न्यायालय के आदेश से तीन सगे भाइयों के विरूद्ध रेप का मुकदमा थाना नवाबगंज पर पंजीकृत कराया गया था जिनके विरूद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा कार्यवाही नही की जा रही ।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जो लड़की पानी की टंकी पर चढ़ी है, उसके सगे चाचा के विरूद्ध जो विपक्षीगण है उनके द्वारा दिनांक 11.12.2019 को मु0अ0स0 482/19 धारा 354, 452 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट व दिनांक 02.05.2020 को मु0अ0स0 107/20 धारा 323, 504, 325 भादवि थाना को0मनकापुर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था । जिममें पुलिस द्वारा लड़की के चाचा व अन्य आरोपियो के विरुद्ध विवेचना में दोषी पाते हुए आरोप पत्र माननीय न्यायालय को प्रेषित किया गया था । जिससे क्षुब्ध होकर लड़की द्वारा पूर्व के मुकदमे की पीड़िता के पति व पति के दो सगे भाइयों के विरुद्ध मा0न्यायालय के आदेश धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत दिनांक 23.12.2023 को मु0अ0सं0-564/23, धारा-376DA, 363,328, 506 भादवी व 5G/6 पाक्सो एक्ट थाना नवाबगंज में पंजीकृत कराया गया है जिसकी विवेचना थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा की जा रही है । पुलिस पर दबाव बनाने के उद्देश्य से युवती पानी की टंकी पर चढ़ी हुई थी, जिसे पुलिस द्वारा समझाबुझाकर सुरक्षित उतार लिया गया है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है ।

मीडिया सेल, गोण्डा।